



## भारत के वस्त्र उद्योग में सततता की बुनावट

*भारत की वस्त्र मूल्य श्रृंखला में चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना*

जुलाई 12, 2026

### मुख्य बातें

भारत का वस्त्र और परिधान उद्योग लंबे समय से देश की विनिर्माण क्षमता का केंद्र रहा है। यह भारत की अर्थव्यवस्था, औद्योगिक उत्पादन और निर्यात में अहम योगदान देता है, साथ ही ग्लोबल टेक्स्टाइल व्यापार में भी इसकी मजबूत स्थिति है। वैश्विक मांग के बदलते पैटर्न के साथ, स्थिरता इस क्षेत्र के लिए विकास का एक बड़ा ज़रिया बनती जा रही है। पॉलिसी के ज़रिए ऑर्गेनिक फाइबर, सुरक्षित रसायन, चक्रीय उत्पादन, अपशिष्ट रिकवरी, इको-लेबलिंग और ट्रेसिबिलिटी को बढ़ावा दिया जा रहा है। साफ़-सुथरी प्रौद्योगिकियां, रीसाइक्लिंग, जिम्मेदार सोर्सिंग और अपशिष्ट कम करने से भारतीय वस्त्र उद्योग को अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में प्रतिस्पर्धी बने रहने में मदद मिल सकती है।

### भारत का वस्त्र उद्योग क्षेत्र और चक्रीय वृद्धि की राह

अक्सर भारत के औद्योगिक विकास का "चरखा" कहा जाने वाला वस्त्र और परिधान क्षेत्र विनिर्माण अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख स्तंभ है। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी 2025 के अनुसार इस क्षेत्र का भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 2% और विनिर्माण सकल बाजार मूल्य का लगभग 11% योगदान है। भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा वस्त्र और परिधान निर्यातक देश भी है, जिसकी वैश्विक निर्यात में लगभग 4% हिस्सेदारी है। यह क्षेत्र 45 मिलियन से अधिक लोगों, जिनमें कई महिलाएं और ग्रामीण श्रमिक शामिल हैं, को प्रत्यक्ष रोजगार भी प्रदान करता है।

इसके आर्थिक पैमाने, निर्यात संबंधों और रोजगार की सघनता को देखते हुए, इस क्षेत्र के लिए स्थिरता का महत्व तेजी से बढ़ता जा रहा है। जैसे-जैसे वैश्विक बाजार पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार उत्पादन की ओर अग्रसर हो रहे हैं, भारत के वस्त्र उद्योग के पास अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करने का अवसर है।

## Textiles: Key Driver of India's Economy



01

Accounts for  
~2% of GDP



02

~11% of  
manufacturing  
GVA



03

Holds ~4%  
share in  
global exports



04

6th largest  
textile &  
apparel exporter



05

Direct employment  
to 45+ million  
people

Source: Ministry of Textiles, National Account Statistics 2025

इस दायरे में, **चक्रीय उत्पादन** पूरे क्षेत्र में गति पकड़ रहा है। भारत की समृद्ध वस्त्र शिल्पकला और संसाधन-सचेत उत्पादन की विरासत को व्यापक मान्यता मिल रही है, क्योंकि वैश्विक बाजार पर्यावरण पर कम प्रभाव डालने वाले उत्पादों को अधिक महत्व दे रहे हैं।

### वस्त्र क्षेत्र में चक्रीय अर्थव्यवस्था

चक्रीय अर्थव्यवस्था एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जिसमें सामग्रियों और संसाधनों का पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण और लंबे समय तक उपयोग में रखा जाता है। इससे **अपशिष्ट और उत्सर्जन** को कम करने के साथ ही, अधिक टिकाऊ उत्पादन पद्धति को बढ़ावा देने में मदद मिलती है। इसका मूल सिद्धांत इनपुट के उपयोग में चक्रीयता सुनिश्चित करना है।

वस्त्र क्षेत्र में, स्थिरता और चक्रीयता **आपूर्ति शृंखला के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने** के लिए महत्वपूर्ण हैं। मौजूदा सामग्रियों को उनकी मूल संरचना में बदलाव किए बिना पुनः उपयोग किया जाता है। इससे ऊर्जा, रसायन और पानी की खपत कम होती है, साथ ही पर्यावरण पर पड़ने वाला प्रभाव भी कम होता है।

### भारत की टेक्सटाइल मूल्य शृंखला में चक्रीयता नजर आती है

भारत की वस्त्र मूल्य शृंखला में चक्रीयता महत्वपूर्ण वापसी, पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग और आजीविका परिणामों में परिलक्षित होती है।

- प्रतिवर्ष **लगभग 7.8 मिलियन टन** वस्त्र अपशिष्ट प्रबंधित किया जाता है, जिसका **90% से अधिक** स्रोत घरेलू पूर्व-उपभोक्ता (कारखाने का स्क्रेप) और उपभोक्ता के बाद का अपशिष्ट है।
- कुल अपशिष्ट का **70%** से अधिक वस्त्र अपशिष्ट वर्तमान में रिकवर किया जाता है और उसे अपसाइक्लिंग, डाउनसाइक्लिंग या पुनः उपयोग में लाया जाता है।
- उपभोक्ता-पूर्व चरण में वापसी विशेष रूप से मजबूत है, जहां लगभग **95%** वस्त्र अपशिष्ट का संग्रह स्थापित मूल्य-शृंखला नेटवर्क के माध्यम से किया जाता है और उसका पुनः उपयोग किया जाता है।
- कताई क्षेत्र में बंद-लूप चक्रीयता का सबसे स्पष्ट उदाहरण दिखाई देता है। **कताई से निकलने वाले लगभग सभी अपशिष्ट पदार्थों को उत्पादन में पुनः उपयोग में लाया जाता है।**
- उपभोक्ता द्वारा उपयोग किए गए वस्त्रों में भी चक्रीयता दिखाई देती है। भारत के व्यापक संग्रहण और छँटाई नेटवर्क के माध्यम से इस कचरे का लगभग **55%** हिस्सा लैंडफिल में जाने से बचाया जाता है।
- यह इकोसिस्टम लगभग **40-45 लाख आजीविकाओं** को सहारा देता है, इसमें हाशिए पर रहने वाले समुदायों की महिलाएं संग्रहण, छँटाई और पुनर्वितरण में प्रमुख भूमिका निभाती हैं।

## भारत के स्थानीय वस्त्र अपशिष्ट रिकवरी मॉडल

**नवी मुंबई का चक्रीय वस्त्र रिकवरी मॉडल:** भारत की पहली नगर निगम वस्त्र रिकवरी सुविधा नवी मुंबई के बेलापुर में स्थित यह सुविधा वस्त्र अपशिष्ट को एक चक्रीय अर्थव्यवस्था के अवसर के रूप में मानिता देती है। यह केंद्र संग्रहण, छँटाई, अपसाइक्लिंग, प्रौद्योगिकी और आजीविका को एक चक्रीय पुनर्चक्रण इकोसिस्टम में एकीकृत करता है। इसने 30 मीट्रिक टन उपयोग के बाद के वस्त्र अपशिष्ट का संग्रहण किया है, 25.5 मीट्रिक टन की छँटाई की है, 41,000 से अधिक वस्तुओं का प्रसंस्करण किया है और 400 से अधिक अपसाइकल किए गए नमूने विकसित किए हैं। इसने 1.14 लाख परिवारों तक पहुँच बनाई है और प्रदर्शनियों और बाज़ार तक पहुँच के माध्यम से महिला कारीगरों को सहायता प्रदान की है।

**पानीपत एक डाउनस्ट्रीम टेक्सटाइल रिसाइक्लिंग हब के रूप में:** पानीपत एक प्रमुख वस्त्र रिसाइक्लिंग हब के रूप में उभरा है। एक विशिष्ट डाउनस्ट्रीम प्रसंस्करण केंद्र के रूप में, इसे अन्य क्लस्टरों से उपभोक्ता-पूर्व वस्त्र अपशिष्ट का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त होता है। यह क्लस्टर प्रतिदिन लगभग 3,500-5,250 टन अपशिष्ट का प्रबंधन करता है और संग्रहण, छँटाई, प्रसंस्करण, बुनाई और पुनर्चक्रण में सहयोग प्रदान करता है। इससे बेहतर सामग्री पृथक्करण के माध्यम से उच्च मूल्य वाले वस्त्र-से-वस्त्र पुनर्चक्रण की प्रबल संभावनाएँ पैदा होती हैं।

**मंगोलपुरी का कतरन अपशिष्ट छँटाई नेटवर्क:** दिल्ली के मंगोलपुरी में स्थित कतरन बाजार दिखाता है कि कैसे अनौपचारिक नेटवर्क कपड़ा उद्योग में पुनर्चक्रण को बढ़ावा देते हैं। सड़क किनारे काम करने वाले लोग नोएडा, गुरुग्राम, मानेसर, जयपुर और दिल्ली से आने वाले ट्रकों से कतरन का कचरा इकट्ठा करते हैं। फिर इस कचरे को रंग के आधार पर छांटा और अलग किया जाता है, जिससे पुनर्चक्रण के लिए इसका मूल्य बढ़ जाता है। यह बाजार प्रतिदिन 10 टन से अधिक छांटा हुआ कतरन का कचरा पानीपत के औपचारिक रीसाइकल केंद्रों को आपूर्ति करता है। इस प्रकार, स्थानीय संग्रहण और कपड़ा उद्योग में रीसाइकल के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी बनती है।

**टेक्सटाइल में सततता** उत्पादन चक्र के विभिन्न चरणों के माध्यम से इसे और भी बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। यह अब मूल्य श्रृंखला में कच्चे माल, विनिर्माण प्रक्रियाओं, गुणवत्ता मानकों और बाजार पहुंच से संबंधित विकल्पों को प्रभावित कर रहा है।

## इनपुट चरण: फाइबर, रसायन और सामग्री की सततता

वस्त्र उत्पादन की स्थिरता इनपुट स्तर से ही शुरू होती है। रेशों और कच्चे माल का चुनाव पूरी मूल्य श्रृंखला के पर्यावरणीय प्रभाव को निर्धारित करता है। इसलिए नीतिगत समर्थन जैविक रेशों, आधुनिक प्राकृतिक रेशों और हानिकारक इनपुट के कम उपयोग की ओर निर्देशित किया जा रहा है।

**जैविक फाइबर उत्पादन को बढ़ावा देना**

प्रमाणन ढांचे और कृषि सहायता कार्यक्रमों के माध्यम से भारत में जैविक फाइबर उत्पादन को बढ़ावा देने के प्रयासों को मजबूत किया जा रहा है।

- **जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीओपी):** यह प्रमाणित जैविक उत्पादों के विकास का समर्थन करता है। इसमें प्रमाणन निकायों की मान्यता और जैविक उत्पादन मानकों को निर्धारित करना शामिल है। यह जैविक उत्पादों के प्रचार और विपणन का भी समर्थन करता है। एनपीओपी मानकों को यूरोपीय आयोग और स्विट्जरलैंड द्वारा असंसाधित पौधों के उत्पादों के लिए मान्यता प्राप्त है। वस्त्र उद्योग के लिए, यह विशेष रूप से प्रासंगिक है क्योंकि इसमें जैविक कृषि उत्पादों के साथ-साथ जैविक कपास फाइबर भी शामिल है।



- **जूट-ICARE:** जूट-ICARE (इंप्रूव्ड कल्टीवेशन एंड एडवांस्ड रेटिंग एक्सरसाइज) कार्यक्रम 2015 में टिकाऊ और वैज्ञानिक जूट की खेती को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। किसानों को उच्च उपज देने वाले प्रमाणित बीजों और गलाने की प्रक्रिया को तेज करने वाले पदार्थों के माध्यम से सहायता प्राप्त होती है। यह उत्पादकता और रेशे की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए बेहतर कृषि पद्धतियों को भी बढ़ावा देता है।
- कार्यक्रम के शुभारंभ के बाद से, यह 7 राज्यों के 130 ब्लॉकों से बढ़कर 10 राज्यों के 289 ब्लॉकों तक विस्तारित हो गया है। इसके साथ ही, इसका कवरेज क्षेत्र भी 2024-25 में लगभग 1.11 लाख हेक्टेयर से बढ़कर लगभग 2.15 लाख हेक्टेयर हो गया है।

#### जैविक उत्पादन

इसका मुख्य उद्देश्य उचित पौध पोषण और सुदृढ़ मृदा प्रबंधन के माध्यम से मिट्टी की प्रजनन और पुनर्जनन क्षमता को संरक्षित करना है। यह सतत खेती के लिए जमीनी दृष्टिकोण का अनुसरण करता है।

**न्यू एज फाइबर मिशन (एमएम-III):** कपास उत्पादकता मिशन के अंतर्गत लघु मिशनों में से एक के रूप में, इसका उद्देश्य है कि **संबद्ध प्राकृतिक रेशों को बढ़ावा देना।**

#### नए जमाने के प्राकृतिक रेशे

ये पौधे आधारित रेशे हैं जो पारंपरिक वस्त्रों और सिंथेटिक सामग्री का पर्यावरण के अनुकूल विकल्प प्रदान करते हैं। इनमें पौधों और अन्य प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त नवीन और टिकाऊ सामग्रियां शामिल हैं। भारत और वैश्विक बाजारों में प्राकृतिक रेशे जैसे **रेमी, सिसल और अलसी** का महत्वपूर्ण आर्थिक और पर्यावरणीय महत्व है। ये वस्त्र मूल्य श्रृंखला, कंपोजिट और अन्य औद्योगिक उपयोगों में सिंथेटिक फाइबर के टिकाऊ विकल्प प्रदान करते हैं। पर्यावरण पर इनका कम प्रभाव और बहुमुखी गुण टिकाऊ वस्त्र उत्पादन में इनके व्यापक उपयोग की प्रबल संभावना पैदा करते हैं।

इस मिशन का उद्देश्य सतत और उच्च गुणवत्ता वाले फाइबर उत्पादन में भारत को एक वैश्विक लीडर के रूप में स्थापित करना है। यह जलवायु-अनुकूल खेती, मशीनीकरण और नवाचार को बढ़ावा देता है। यह पहल कृत्रिम सामग्रियों के पर्यावरण अनुकूल विकल्पों के रूप में संबद्ध प्राकृतिक फाइबर के उपयोग को भी प्रोत्साहित करती है, जिसमें खेती की पद्धतियों को अनुकूलित करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

- **राष्ट्रीय फाइबर योजना:** इस योजना का उद्देश्य प्राकृतिक, मानव निर्मित और आधुनिक फाइबर को बढ़ावा देते हुए फाइबर मूल्य श्रृंखला में आत्मनिर्भरता को मजबूत करना है। इसका मुख्य लक्ष्य घरेलू फाइबर की उपलब्धता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और उन्नत वस्त्र सामग्री में नवाचार को प्रोत्साहित करना है।

प्राकृतिक और प्रमाणित इनपुट को प्रोत्साहित करके, ये उपाय चक्रीयता के पहले चरण का समर्थन करते हैं: सामग्री स्तर पर पर्यावरणीय तनाव को कम करना।

### वस्त्र आपूर्ति श्रृंखला में खतरनाक रसायनों के उपयोग को कम करना

- **सतत वस्त्र उत्पादन के लिए पायलट परियोजनाएं:** सतत उत्पादन और उपभोग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कई प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इनसे वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के संबंध में क्षमता को भी मजबूती मिलती है। इनके प्रमुख क्षेत्रों में सुरक्षित रसायन, पर्यावरण के अनुकूल वस्त्र और जैविक वस्त्र शामिल हैं।

ऐसी ही एक पायलट परियोजना है **भारत में कपड़ा फैशन आपूर्ति श्रृंखला से खतरनाक रसायनों को समाप्त करना**। यह आठ समूहों के 400 कारखाने और चार फैशन हाउसों को कवर करती है। यह परियोजना इस प्रकार से तैयार की गई है कि 1,47,000 tCO<sub>2</sub>eq उत्सर्जन को कम करना और साथ ही हानिकारक रसायनों के उपयोग को 10,530 टन तक कम किया जा सके।

इस चल रही परियोजना का उद्देश्य भारत की परिधान आपूर्ति श्रृंखला से खतरनाक रसायनों को हटाना, टिकाऊ उत्पादन प्रथाओं को बढ़ावा देना और पर्यावरणीय खतरों को कम करना है।

- **खतरनाक रंगों और स्थायी प्रदूषकों का विनियमन:** रंगाई और रंग प्रसंस्करण उद्योगों में बेजिडीन-आधारित रंगों और उनके लवणों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा, इनके प्रबंधन पर भी प्रतिबंध है। 70 azo डाई पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। भारत ने भी स्टॉकहोम कन्वेंशन की 2006 में पुष्टि की। यह एक वैश्विक संधि है जिसका उद्देश्य मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों (POPs) से बचाना है।



खतरनाक रसायनों के उपयोग को कम करना चक्रीयता के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्वच्छ सामग्रियों को मूल्य श्रृंखला में पुनः एकीकृत करना आसान होता है।

### उत्पादन चरण: टेक्सटाइल प्रोसेसिंग और विनिर्माण

वस्त्र उद्योग के पर्यावरणीय प्रभाव में विनिर्माण चरण की केंद्रीय भूमिका होती है, क्योंकि इसमें जल, ऊर्जा और अन्य संसाधनों का अत्यधिक उपयोग होता है। सतत विनिर्माण उपाय स्वच्छ अवसंरचना, संसाधनों के कुशल उपयोग, चक्रीय प्रक्रिया और कम उत्सर्जन को बढ़ावा दे रहे हैं।

### सतत विनिर्माण के लिए एकीकृत वस्त्र पार्क

---

पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्स्टाइल रीजन एंड अपैरल (MITRA) पार्क को निवेश, रोजगार और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विश्व स्तरीय, एकीकृत वस्त्र केंद्र के रूप में परिकल्पित किया गया है। ये '5F' विजन पर आधारित हैं: फार्म टू फाइबर टू फैक्टरी टू फैशन टू फॉरेन। इस दृष्टिकोण के तहत, संपूर्ण विनिर्माण सुविधाओं से युक्त आधुनिक वस्त्र अवसंरचना विकसित की जा रही है। सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्रों (CETPs), अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण, वैज्ञानिक अपशिष्ट प्रबंधन और साझा उपयोगिताओं के माध्यम से स्थिरता को अंतर्निहित किया जाता है।

सात पीएम मित्रा पार्कों के विकास के लिए 2027-28 तक 4,445 करोड़ रुपये के परिव्यय की मंजूरी दे दी गई है। तमिलनाडु के विरुधुनगर में सात स्थलों को अंतिम रूप दिया गया है; वारंगल, तेलंगाना; नवसारी, गुजरात; कलबुर्गी, कर्नाटक; धार, मध्य प्रदेश; लखनऊ, उत्तर प्रदेश; और अमरावती, महाराष्ट्र।

दिसंबर 2025 तक, 27,434 करोड़ रुपये से अधिक संभावित निवेश वाले समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। आवश्यक भूमि का पूर्ण अधिग्रहण कर संबंधित एसपीवी को सौंप दिया गया है।

### RAMP के अंतर्गत हरित और चक्रीय अर्थव्यवस्था को समर्थन

---

आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार, भारत की वस्त्र और परिधान उत्पादन क्षमता में लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) का योगदान 80% से अधिक था। इसलिए लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) की भागीदारी को मजबूत करने, प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करने और सतत विकास को समर्थन देने के लिए कई पहल की गई हैं।

सरकार ने RAMP कार्यक्रम के तहत 2023 में सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए एमएसई-गिफ्ट और एमएसई-स्पाइस योजनाएं शुरू कीं। ये योजनाएं ब्याज पर सब्सिडी और पूंजी पर सब्सिडी जैसे समर्थन के माध्यम से टिकाऊ प्रथाओं को प्रोत्साहित करती हैं।

- **एमएसई-गिफ्ट:** इस योजना का उद्देश्य MSMEs में हरित प्रौद्योगिकियों और स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने को समर्थन देना है। इसका उद्देश्य वित्तीय और जागरूकता सहायता के माध्यम से टिकाऊ प्रथाओं के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाना है। इसमें 2 करोड़ रुपये तक के सावधि ऋणों पर 2% वार्षिक ब्याज सब्सिडी, 75% ऋण गारंटी कवरेज और जागरूकता बढ़ाने के लिए सूचना एवं संचार (आईईसी) शामिल है।
- **चक्रीय अर्थव्यवस्था में संवर्धन और निवेश हेतु एमएसई-योजना (एमएसई-स्पाइस):** इस योजना का उद्देश्य सूक्ष्म और लघु उद्यमों की सतत प्रथाओं को अपनाने और हरित विकास में सहायता करना है। यह संसाधन-कुशल और चक्रीय समाधानों का समर्थन करती है जो दक्षता और लागत-प्रभावशीलता में सुधार करते हुए पर्यावरणीय प्रभाव को कम करते हैं। इसकी प्रमुख विशेषताओं में पात्र संयंत्र और मशीनरी निवेशों के लिए 25% पूंजी सब्सिडी और राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान शामिल हैं।

### भारतीय कार्बन बाजार (ICM) के अंतर्गत वस्त्र क्षेत्र

---



कार्बन उत्सर्जन तीव्रता (GEI) के लक्ष्य कार्बन उत्सर्जन प्रणाली (CCTS) के अंतर्गत कार्बन-गहन क्षेत्रों के लिए अधिसूचित किए गए हैं। इससे पेट्रोलियम रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल्स, वस्त्र और द्वितीयक एल्युमीनियम ICM अनुपालन तंत्र के दायरे में आ गए हैं। इस फ्रेमवर्क के तहत, वस्त्र क्षेत्र सहित सभी उत्तरदायी संस्थाओं को अपनी **स्कोप-1 और स्कोप-2 उत्सर्जन** जानकारी का खुलासा करना आवश्यक है।

- किसी संगठन के स्वामित्व या नियंत्रण वाले स्रोतों से **स्कोप 1 उत्सर्जन प्रत्यक्ष ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन** हैं।
- किसी संगठन द्वारा खरीदी गई बिजली, वाष्प, ऊष्मा या शीतलन के उपभोग से उत्पन्न होने वाला नुकसान **स्कोप 2 उत्सर्जन अप्रत्यक्ष उत्सर्जन** हैं।

अपने निर्धारित लक्ष्यों से बेहतर प्रदर्शन करने वाली संस्थाएँ कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए पात्र हो जाती हैं। इन प्रमाणपत्रों का उन संस्थाओं के साथ आदान-प्रदान किया जा सकता है जो अपने लक्ष्यों को पूरा करने में असमर्थ हैं, जिससे उत्सर्जन कम करने के लिए बाजार-आधारित प्रोत्साहन मिलता है।

### कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (CCTS)

2023 में अधिसूचित, यह योजना भारतीय कार्बन बाजार (आईसीएम) के संचालन के लिए **फ्रेमवर्क** प्रदान करती है। इसका उद्देश्य कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्रों के व्यापार के माध्यम से उत्सर्जन की कीमत तय करके ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करना है। उत्सर्जन में कमी को आर्थिक मूल्य देकर, यह योजना उद्योगों को दक्षता में सुधार करने, स्वच्छ प्रौद्योगिकियों की ओर रुख करने और समय के साथ अपनी कार्बन तीव्रता को कम करने के लिए प्रोत्साहित करती है।

### सतत वस्त्र निर्माण के लिए रोडमैप

सरकार ने स्वच्छ वस्त्र निर्माण को बढ़ावा देने के लिए कई अध्ययन और परियोजनाएं शुरू की हैं। इनमें सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है और जल एवं ऊर्जा दक्षता, रसायन प्रबंधन और संबंधित प्रक्रियाओं में सुधार के लिए दिशा-निर्देश दिए गए हैं। इनमें सर्वोत्तम उपलब्ध तकनीक संदर्भ/व्यापक उद्योग दस्तावेज़ (BREF/COINDS) तैयार करना और हरित परिवर्तन के लिए एक रोडमैप बनाना शामिल है।

### टेक्स इको पहल

यह पहल वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी और पर्यावरण के अनुकूल वस्त्र एवं परिधान निर्माण बढ़ावा देती है। यह भारत के वस्त्र उद्योग को अंतरराष्ट्रीय स्थिरता मानकों और उभरते हरित बाजार अवसरों के अनुरूप बनाती है।

### पोस्ट प्रोडक्शन चरण: अपशिष्ट प्रबंधन

वस्त्रों के उत्पादन के बाद का चरण यह निर्धारित करता है कि वस्त्र अपशिष्ट को कैसे एकत्र किया जाता है, पुनर्चक्रित किया जाता है और मूल्य श्रृंखला में पुनः एकीकृत किया जाता है। इसलिए, इस क्षेत्र में चक्रीयता को मजबूत करने के प्रयास तेजी से अपशिष्ट मैपिंग, पुनर्चक्रण और संसाधन रिकवरी पर केंद्रित हो रहे हैं।

## भारत में वस्त्र अपशिष्ट पुनर्चक्रण की क्षमता

सतत फैशन की बढ़ती मांग के साथ भारत के वस्त्र पुनर्चक्रण क्षेत्र में मजबूत वृद्धि होने का अनुमान है। इस क्षेत्र के **2030 तक** लगभग **3.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर** तक पहुंचने का अनुमान है। यह तीव्र वृद्धि रोजगार की महत्वपूर्ण संभावनाओं को बढ़ाती है। इस क्षेत्र से अगले पांच वर्षों में लगभग **1 लाख हरित नौकरियां** उत्पन्न होने की उम्मीद है।

### ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और संसाधन रिकवरी



पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 1 अप्रैल, 2026 से पूरी तरह से लागू हो गए। संशोधित नियमों में चक्रीय अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों को शामिल किया गया है और उत्पादक की जिम्मेदारी का विस्तार किया गया है। इनमें **अपशिष्ट पदार्थों का कुशल पृथक्करण और प्रबंधन** पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है।

वे अचक्रणीय शुष्क अपशिष्ट के लिए एक संरचित अंतिम-उपयोग मार्ग भी बनाते हैं। सीमेंट संयंत्रों और अपशिष्ट-से-ऊर्जा संयंत्रों सहित ठोस ईंधन का उपयोग करने वाली औद्योगिक इकाइयों को छह वर्षों में अपशिष्ट से प्राप्त

ईंधन (RDF) के उपयोग को धीरे-धीरे 5% से बढ़ाकर 15% करना आवश्यक है।

RDF को उच्च कैलोरी वाले नगरपालिका ठोस कचरे, जिसमें वस्त्र भी शामिल हैं, से निर्मित ईंधन के रूप में परिभाषित किया गया है। यह वस्त्रों सहित उच्च कैलोरी वाले कचरे को उत्पादन योग्य बनाने में सहायक है।

### वस्त्र अपशिष्ट के रूपांतरण के लिए NTTM का समर्थन

राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (NTTM) के अंतर्गत, सतत प्रौद्योगिकियों और सामग्रियों के लिए कई अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इनमें वस्त्र अपशिष्ट, बायोमास और जैव-अवशेषों को उन्नत हरित सामग्रियों में परिवर्तित करने की परियोजनाएं शामिल हैं। प्रमुख क्षेत्रों में कार्बन फाइबर और खास उपयोग वाले वस्त्र शामिल हैं।

### वस्त्र क्षेत्र के लिए अपशिष्ट जल निर्वहन मानक

वस्त्र उद्योग सहित उद्योगों से होने वाले उत्सर्जन और निर्वहन के लिए पर्यावरणीय मानक पर्यावरण संरक्षण नियम, 1986 के तहत अधिसूचित किए जाते हैं। इन प्रावधानों के तहत, कपड़ा उद्योगों और उनके समूहों को अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र (ETPs) या सामान्य अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र (CETPs) स्थापित और संचालित करना अनिवार्य है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि अपशिष्ट जल का निर्वहन निर्धारित पर्यावरणीय मानकों को पूरा करता है।

### भारत की वस्त्र अपशिष्ट मूल्य श्रृंखला की मैपिंग

2026 में जारी की गई रिपोर्ट **भारत में वस्त्र अपशिष्ट मूल्य श्रृंखला की मैपिंग** कपड़ा अपशिष्ट उत्पादन का डेटा-आधारित मूल्यांकन प्रदान करती है। यह कपड़ा मूल्य श्रृंखला में चक्रीयता को मजबूत करने के अवसरों की पहचान



करती है। यह रिपोर्ट रीसाइक्लिंग, अपसाइक्लिंग और संसाधन रिकवरी के माध्यम से कपड़ा अपशिष्ट को एक आर्थिक संसाधन में बदलने के लिए एक व्यावहारिक खाका भी प्रस्तुत करती है।

## प्रमोशन चरण: बाजार और उद्यम सहायता

वस्त्र उद्योग में स्थिरता का दायरा उत्पादन और अपशिष्ट प्रबंधन तक ही सीमित नहीं है। इसे मानकों, ट्रेसिबिलिटी, बाजार समर्थन, सार्वजनिक खरीद और जागरूकता पहल के माध्यम से भी बढ़ावा दिया जा रहा है। ये उपाय वस्त्र मूल्य श्रृंखला में टिकाऊ प्रथाओं को स्थापित करने में सहायक हैं।

### मानक और सततता मानदंड

- **सतत वस्त्र उत्पादों के लिए पर्यावरण अनुकूल लेबलिंग:** इको-मार्क योजना, 2024 के तहत, वस्त्रों को भारतीय मानकों के अंतर्गत इको मार्क प्रमाणन के लिए पात्र उत्पाद श्रेणियों में से एक के रूप में पहचाना गया है। इस क्षेत्र के लिए, 13 भारतीय मानक शीर्षक अधिसूचित कर दिए गए हैं। निर्दिष्ट पर्यावरणीय मानदंडों को पूरा करने वाले उत्पादों को इको-मार्क प्रदान किया जाता है। इनमें संसाधन उपयोग, जलवायु प्रभाव, जैव विविधता, ऊर्जा उपयोग, अपशिष्ट, उत्सर्जन और खतरनाक पदार्थ शामिल हैं।
- **भारतीय वस्त्रों का गुणवत्ता प्रमाणीकरण और ट्रेसिबिलिटी:** वैश्विक स्तर पर अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए **ब्रांड इंडिया** वस्त्र उद्योग में, **कस्तूरी कॉटन** और **सिल्क मार्क** जैसी पहल शुरू की गई हैं। ये प्रीमियम भारतीय कॉटन को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में एक विशिष्ट पहचान प्रदान करती हैं। ट्रेसिबिलिटी सिस्टम जिम्मेदार सोर्सिंग और वैश्विक खरीदारों के लिए आपूर्ति श्रृंखला में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने में भी सहायक हैं।

ऐसे मानक संसाधन-कुशल और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार प्रक्रियाओं के माध्यम से निर्मित उत्पादों के लिए बाजार में विश्वास पैदा कर सकते हैं।

### सार्वजनिक खरीद के माध्यम से पुनर्चक्रित उन्नत उत्पादों को बढ़ावा देना

वस्त्र समिति, सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) और सार्वजनिक उद्यमों के स्थायी सम्मेलन (स्कोप) के बीच 2024 में एक त्रिपक्षीय **समझौता ज्ञापन (MoU)** पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसका उद्देश्य पुनर्चक्रित उत्पादों की सार्वजनिक खरीद को प्रोत्साहित करना और संस्थागत रूप देना है। इसका उद्देश्य वस्त्र क्षेत्र में चक्रीयता का समर्थन करते हुए **व्यापक बाजार पहुंच** बनाना है।

### सतत वस्त्रों के लिए जागरूकता पहल

- **SU.RE (सतत संकल्प):** यह भारतीय परिधान उद्योग की **सबसे बड़ी स्वैच्छिक सतत विकास प्रतिबद्धताएं** में से एक है। इसका नेतृत्व क्लोथिंग मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (CMAI), रिलायंस ब्रांड्स लिमिटेड (RBL), भारत में संयुक्त राष्ट्र और वस्त्र मंत्रालय कर रहे हैं। इस पहल का उद्देश्य उद्योग को अधिक टिकाऊ प्रथाओं की ओर ले जाना है। यह भारतीय फैशन उद्योग को स्वच्छ और पर्यावरण के प्रति अधिक जिम्मेदार मार्ग पर ले जाने की सामूहिक प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
- **सर्कल बैक अभियान:** कपड़ा उद्योग की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कई पहल की गई हैं। इनमें सर्कल बैक अभियान शामिल है, जो **छात्रों में वस्त्र पुनर्चक्रण के बारे में जागरूकता** बढ़ाता है। भारत टेक्स 2024 और 2025 में आयोजित **वस्त्र कथा** जैसी प्रदर्शनीयों ने भी टिकाऊ वस्त्र निर्माण प्रथाओं को प्रदर्शित करने में मदद की है।

- **सतत वस्त्र निर्माण प्रथाओं के लिए ESG प्लेटफॉर्म:** सतत उत्पादन, प्रमाणीकरण, निर्यात और संबद्ध मामलों पर विचार-विमर्श करने के लिए एक पर्यावरण, सततता और गवर्नेंस (ESG) कार्य बल का गठन किया गया है।

इसने सर्कुलर संवाद और क्लस्टर एक्सचेंज मैकेनिज्म जैसे उद्योग-केंद्रित कार्यक्रमों को ज्ञान के आदान-प्रदान और सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देने में सक्षम बनाया है।

### **भारत टेक्स: वस्त्र उद्योग में सततता और नवाचार को बढ़ावा देना**

भारत टेक्स भारत का **प्रमुख वैश्विक वस्त्र आयोजन** है। यह वैश्विक वस्त्र अर्थव्यवस्था में देश की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। यह फाइबर और धागे से लेकर कपड़े, परिधान, तकनीकी वस्त्र और सततता-आधारित नवाचारों तक, संपूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला को एक एकीकृत मंच पर एक साथ लाता है।

2024 और 2025 में आयोजित अपने पहले दो संस्करणों के बाद, भारत टेक्स 2026 को एक व्यापक उद्योग मंच के रूप में तैयार किया जा रहा है। इसमें प्रदर्शनियाँ, ज्ञान सत्र, खरीदार-विक्रेता सम्मेलन और नीतिगत संवाद शामिल होंगे। यह आयोजन टिकाऊ और चक्रीय वस्त्र, तकनीकी वस्त्र, लघु एवं मध्यम उद्यमों की भागीदारी, नवाचार और वैश्विक बाजार तक पहुंच पर विशेष जोर देता है।

### **भारत के टेक्सटाइल क्षेत्र के लिए एक सतत भविष्य**

भारत का वस्त्रों से संबंध उसकी सांस्कृतिक विरासत और आर्थिक आधार दोनों में गहराई से जुड़ा हुआ है। सदियों से, भारतीय परिवार और कारीगर समुदाय संसाधनों का पुनः उपयोग, मरम्मत और सजगतापूर्वक उत्पादन करते आ रहे हैं। ये परंपराएँ चक्रीयता (सर्कुलरिटी) के रूप में वर्णित अवधारणा को बखूबी दर्शाती हैं। आज, सतत इनपुट, जिम्मेदार उत्पादन, बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन और पता लगाने की क्षमता के लिए नीतिगत समर्थन के माध्यम से इन्हें और मजबूत किया जा रहा है।

ये उपाय दर्शाते हैं कि भारत के वस्त्र क्षेत्र में सततता और चक्रीयता किस प्रकार घनिष्ठता से जुड़ रही हैं। यह पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक औद्योगिक परिवर्तन से जोड़ता है। इससे देश के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक में प्रतिस्पर्धात्मकता और पर्यावरणीय लचीलापन दोनों मजबूत हो रहे हैं।

### **पीआईबी शोध**

#### **संदर्भ:**

#### **वस्त्र मंत्रालय**

<https://www.texmin.gov.in/static/uploads/2026/03/407c2f186a2044a4497c9c9803d16a2c.pdf>

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2208051&lang=1&reg=6>

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2244420&reg=3&lang=1>

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2222481&reg=3&lang=2>

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2152544&reg=3&lang=2>

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2227424&reg=3&lang=2>

<https://www.texmin.gov.in/static/uploads/2025/12/b56180fbde3114759a80f793979efe32.pdf>

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2221486&reg=3&lang=1>

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2241104&reg=3&lang=2>  
<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2244420&reg=3&lang=2>  
<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2237705&reg=3&lang=2>  
<https://www.texmin.gov.in/offerings/schemes-and-services/details/pm-mitra-MzNzMTMtQWa>  
<https://www.texmin.gov.in/static/uploads/2025/12/c865d599cae0c357c02d247a8a82d24e.pdf>  
<https://www.texmin.gov.in/offerings/schemes-and-services/details/integrated-processing-development-scheme-ipds-YjN0MTMtQWa>  
<https://www.pib.gov.in/PressReleaseDetail.aspx?PRID=2237779&reg=3&lang=1>  
<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2200825&reg=3&lang=2>  
<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2204546&lang=2&reg=3>  
<https://www.pib.gov.in/PressReleaseDetail.aspx?PRID=2238148&reg=3&lang=2>  
<https://www.texmin.gov.in/static/uploads/2026/03/407c2f186a2044a4497c9c9803d16a2c.pdf>  
<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2263024&reg=48&lang=2>  
<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2155461&lang=2&reg=3>  
<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2208051&reg=48&lang=2>

## **वित्त मंत्रालय**

<https://www.indiabudget.gov.in/economicsurvey/doc/echapter.pdf>

## **वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय**

<https://www.pib.gov.in/PressReleaseFramePage.aspx?PRID=2009892&reg=3&lang=2>

## **सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय**

<https://ramp.msme.gov.in/ramp/about-ramp.php>  
<https://ramp.msme.gov.in/ramp/gift-scheme.php>  
<https://ramp.msme.gov.in/ramp/spice-scheme.php>

## **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय**

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2217239&lang=1&reg=3>  
<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2219676&lang=1&reg=3>  
<https://moef.gov.in/storage/tender/1727787383.pdf>

## **अवसान और शहरी कार्य मंत्रालय**

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2249256&reg=48&lang=2>

## **ईएसी-पीएम**

<https://eacpm.gov.in/wp-content/uploads/2023/07/17-Indias-Tryst-with-a-Circular-Economy.pdf>

## **पत्र सूचना कार्यालय**

<https://blogs.pib.gov.in/iframeblogs.aspx?feaid=291>

## **एपीडा**

<https://organic.apeda.gov.in/npop>

## **भारतीय मानक ब्यूरो**

[https://www.services.bis.gov.in/php/BIS\\_2.0/bisconnect/knownyourstandards/ecomark/isdetails/MTY=](https://www.services.bis.gov.in/php/BIS_2.0/bisconnect/knownyourstandards/ecomark/isdetails/MTY=)

## **अन्य**

[https://cdn.climatepolicyradar.org/navigator/IND/2023/eliminating-hazardous-chemicals-from-textile-fashion-supply-chains-in-india\\_e3453b045394a53488885461edb58f44.pdf](https://cdn.climatepolicyradar.org/navigator/IND/2023/eliminating-hazardous-chemicals-from-textile-fashion-supply-chains-in-india_e3453b045394a53488885461edb58f44.pdf)

<https://www.mckinsey.com/featured-insights/mckinsey-explainers/what-are-scope-1-2-and-3-emissions>

<https://www.sustainableresolution.com/about>

## **पीके/केसी/जेएस**